न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :- 10 / 22 पीठासीन अधिकारी

रज्जू दिनांक 25-04-2022 **श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)**

शकुन्तलादेवी पत्नी राजीलाल जाति ब्राह्मण उम्र 71 वर्ष निवासी न्यू कॉलोनी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थीया)

बनाम्

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार महोदय तहसील लालसोट जिला दौसा

(प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने पत्थरगढी

निर्णय **दिनांक : 16-6-22**

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नं0 370 / 14 रकबा 1.0000 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम खेड़ली पटवार हल्का मिर्जापुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी भूमि से अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नही है उक्त आराजी भूमि का प्रार्थीया वास्तविक रकबेनुसार पत्थर गढी करवाना चाहती है। इस हेतू उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीया उक्त भूमि के तनहा खातेदर व काबिज काश्तकार है जिस पर प्रार्थीया शान्तिपूर्ण तरीके से काबिज रहकर उपयोग उपभोग करती चली आ रहे है उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीया की खातेदारी अधिकारो का हनन करने का असफल प्रयास करते है। जिसका उन्हे किसी भ प्रकार का कोई हक व अधिकार हांसिल नही है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि का सीमा निर्धारण करने हेतू भी आवेदन किया गया तथा उक्त भूमि का सीमा निर्धारण की प्रति प्राप्त नही होने के कारण तथा उक्त भूमि की पत्थर गढी नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि का विकास कार्य सदुपयोग करने से वंचित हो रही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मंजूर फरमाया जाकर खसरा नं0 370 / 14 रकबा हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम खेडली पटवार

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

हल्का मिर्जापुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि की जरिये पुलिस इमदाद सीमाज्ञान पत्थरगढी कायम करवाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी से पत्थरगढी बाबत रिपोर्ट ली गई । वकील प्रार्थी को सुना गया प्रार्थना पत्र पत्थरगढी एवं तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तहसील लालसोट ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित आराजी खसरा नं0 370/14 रकबा हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम खेड़ली पटवार हल्का मिर्जापुरा तहसील लालसोट की भूमि वर्तमान मे मौके पर खाली होना अंकित किया जिससे वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि दो कुशल गिरदावर/पटवारीयान की टीम गठित कर आराजी खसरा नं0 370/14 रकबा-1.0000 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम खेड़ली पटवार हल्का मिर्जापुरा तहसील लालसोट वाली भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कायम करावे साथ ही नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थीया से प्राप्त करें। इस आशय की तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/6/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दप्तर हो।

(मोहरसिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी लालसोट